भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2172

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

यातायात उल्लंघन के मामलों का पंजीकरण

2172. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात उल्लंघन के राज्य-वार कितने मामले दर्ज हुए हैं और उनमें कितनी राशि वसूल की गई है;

(ख) क्या यातायात जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि के बाद मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क पर चालकों द्वारा उग्र व्यवहार और लापरवाही से वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो ऐसे दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उचित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति या योजना निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज किए गए यातायात उल्लंघन के मामलों की संख्या और शास्ति की वसूली की राशि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ख) से (ड.) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उल्लंघन के लिए निवारण बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन का प्रावधान है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, वहीं इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति (एससीसीओआरएस) द्वारा विधिवत जांच के बाद दिनांक 28.10.2025 को जारी किया गया है और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 167 और 167क में समवर्ती संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाकर प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के अलावा, सड़क सुरक्षा मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।

अनुलग्नक-I

"यातायात उल्लंघन के मामलों का पंजीकरण" के संबंध में **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** द्वारा पूछे गए दिनांक 12 .02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2172 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023		2024		2025		2026 (08.02.2026)	
		कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	613	750302	39561	27511400	4595	2484950
2	आंध्र प्रदेश	1350517	46345405	4424100	1088182059	2852211	2268517659	375815	154366869
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	197	89017	318	143102	609	15504
4	असम	1042381	1635946539	1441610	1192287238	1373450	567229455	158376	24572300
5	बिहार	1259247	3362878204	2671432	3156305701	3170844	2392214041	322372	176434948
6	छत्तीसगढ	226096	171182150	263512	188858651	702134	297876350	102381	23538000
7	चंडीगढ़	993555	330619535	995780	307861146	807106	226847423	69734	4681500
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	30114	19081500	26994	18915000	31454	24593900	2442	1432500
9	दिल्ली	7686580	2770958426	7820107	2334673233	9554934	1254475139	1024464	19976507
10	गोवा	558485	374515340	517892	391711762	356429	231369213	47474	13670104
11	गुजरात	1604545	1537890529	4324698	1958717710	8571775	2313915659	972386	109167809
12	हिमाचल प्रदेश	824216	496871422	1097882	596990478	1331948	589308825	184158	41245204
13	हरियाणा	3403719	3838177773	3126261	2637518467	5225384	3314660781	429086	250639900
14	झारखंड	435227	350033450	718487	282274625	1164884	261052189	95921	19709652
15	जम्मू और कश्मीर	1238584	345649936	1544105	434020276	1548525	341736740	163531	21146700
16	कर्नाटक	248265	64603701	481705	78819019	885309	94182941	88505	4848200
17	केरल	11133412	4013360559	11380834	3386335086	10053983	2218153023	1008724	116930820

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023		2024		2025		2026 (08.02.2026)	
		कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)	कुल चालान	एकत्रित राजस्व (रु.)
18	लद्दाख	92	37700	0	0	0	0	0	0
19	महाराष्ट्र	1369996	3385733615	2799451	4083883617	3572056	3993743874	158109	344207437
20	मेघालय	29135	32227500	31930	30963101	33382	28963700	2583	1683300
21	मणिपुर	4599	2390800	8029	1961800	39269	11315800	4650	292500
22	मध्य प्रदेश	1310662	455469822	2550226	562489271	3249598	728482810	300748	85938200
23	मिजोरम	6231	9896300	9875	12900000	11246	12648200	1182	1079600
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	10	2000
25	ओडिशा	1794849	1647725754	1383624	1178501427	2188769	1265008048	331776	87782415
26	पंजाब	72191	67857294	397843	531641679	2046623	1136183365	277279	91762807
27	पुद्दुचेरी	157825	40801350	253472	44181100	250452	53347200	15215	3354000
28	राजस्थान	2044755	4382123512	2494300	3708210269	4514694	3626647510	694061	274562640
29	सिक्किम	465	1952540	2590	4067985	1463	1079900	214	57600
30	तमिलनाडु	11134810	3865107202	11161225	3321881655	8938678	2168185159	762889	101988345
31	त्रिपुरा	532114	180655763	950096	194346830	683148	238131020	66792	30782950
32	उत्तराखंड	667354	723372217	912200	855407398	1390081	776254827	181312	54390580
33	उत्तर प्रदेश	14447650	6154650329	15385832	5560060350	19312200	5093550064	2131038	363871054
34	पश्चिम बंगाल	2304310	2126757704	2715901	1824976406	3955178	2056808144	353519	139494179
कुल योग		**67911981**	**42434873871**	**81892803**	**39969782658**	**97857086**	**37614137461**	**10331950**	**2566111074**

* अब तक, ई-चालान प्रणाली केवल 34 राज्यों में ही लागू/चल रही है। लक्षद्वीप और तेलंगाना में यह प्रणाली लागू नहीं है।

*****